रजिस्ट्रीसं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 1973/भाद्र 26, 1895

No 318] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 1973/BHADRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 17th September 1973

S.O. 504(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 143, dated the 9th January, 1967 (as amended by the Orders of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3251, dated the 30th August, 1971, and S.O. No. 2081, dated the 18th May, 1971), and supersession of the Ministry of Industrial Development Order No. S.O. 368(E), dated the 2nd July, 1973, the Central Government hereby authorises, with effect from 15th September, 1973, Shri P. C. Gupta to take over the management of the whole of the Mahalakshmi Mills Company Limited, Beawar, *vice* Shri B. N. Vali, until further orders.

[No. F. 28013/46/73-NTC].

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1973

का० आ० 504(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), की धारा 18ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 143, दिनांक 9 जनवरी, 1967 (भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3251, दिनांक 30 अगस्त, 1971 तथा सं० का० आ० 2081 दिनांक 18 मई, 1971 द्वारा संशोधित रूप में) को अंशतः संशोधित करते हुए और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 368 (ई०), दिनांक 2 जुलाई, 1973, का अभिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० सी० गुप्त को 15 सितम्बर, 1973 से आगामी आदेश होने तक के लिए श्री बी० एन० बाली के स्थान पर सम्पूर्ण महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि० ब्यावर, का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० फा० 28013/46/73-एन०टी०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973